भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1915

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

एन०एस०जी० कमांडोज का कल्याण

†1915. प्रो० सौगत राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में 26 नवम्बर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कुल कितने कमांडो मारे गए/घायल हुए/पक्षाघात से ग्रस्त हो गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने घायल/पक्षाघात से ग्रस्त हो गए ऐसे कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घायल/पक्षाघात से ग्रस्त हो गए उक्त कार्मिकों की सेवा संरक्षित रखने और उन्हें चिकित्सा-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) : दिनांक 26.11.2013 को मुम्बई आपरेशन ओपी ब्लैक टोरनाडो में 02 एनएसजी कमांडो मारे गए थे और अन्य 14 को युद्ध के दौरान चोट (घात युद्ध/अघातक दुर्घटना) के रूप में घोषित किया गया था।

(ख) और (ग) : वर्ष 2008 में मुम्बई आतंकी हमले में भाग लेने वाले मृतकों के निकटतम संबंधी को भुगतान की गई पेंशन और मुआवजे तथा घायल एनएसजी कर्मियों को दिए गए मुआवजे के ब्यौरे अनुलग्नक में उल्लिखित हैं। अपने निष्कपट कर्त्तव्य का पालन करते हुए मुम्बई हमले के दौरान घायल हुए अधिकारियों को 'युद्ध के दौरान हताहत' का दर्जा दिया गया था। ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया गया था बल्कि मेडिकल पदाधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार सेवा में रहने दिया गया था। उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

दिनांक 17.12.20103 के लिए लोक सभा अ.ता.प्र.सं. 1915

दिनांक 26.11.2008 को एनएसजी के मुम्बई आपरेशन ओपी ब्लैक टोरनाडो के दौरान मारे गए एनएसजी कर्मियों को भुगतान की गई पेंशन/मुआवजे के ब्यौरे

क. मारे गए एनएसजी कर्मियों को भुगतान किया गया मुआवजा/पेंशन और वित्तीय लाभ:

क्रसं.	नाम	भुगतान किया गया मुआवजा/पेंशन
1.	मेजर संदीप उन्नीकृष्णन	केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र तथा केरल की राज्य सरकारों द्वारा निकटतम संबंधी को 1,08,31,373 रू. का भुगतान किया गया।
2.	हवलदार गजेन्द्र सिंह	केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र तथा उत्तराखंड की राज्य सरकारों द्वारा निकटतम संबंधी को 83,30,500 रू. का भुगतान किया गया।

ख. घायल एनएसजी कर्मियों को भुगतान किया गया मुआवजा/पेंशन और वित्तीय लाभ

क्रसं..	नाम	रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया मुआवजा और पेंशन	एनएसजी और अन्य द्वारा दिए गए वित्तीय लाभ	भुगतान किए गए कुल वित्तीय लाभ	टिप्पणी
1.	सूबेदार फायर चन्द्र, एस एम	15,96,272/-रू. + प्रतिमाह 10,701/-रू. पेंशन	2,28,381/-रू.	18,24,653/-रू. + 10,701/- रू. पेंशन प्रतिमाह	सेना नियम 13(3) से संलग्न तालिका की मद 1 (1) (ख) के तहत स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त किया गया।

दिनांक 17.12.2013 के लिए अ.ता.प्र.सं. 1915

क्रसं.	नाम	रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया मुआवजा और पेंशन	एनएसजी और अन्य द्वारा दिए गए वित्तीय लाभ	भुगतान किए गए कुल वित्तीय लाभ	टिप्पणी
2.	लांस नायक सुरेन्द्र सिंह	32,09,007/-रू. + 20,700/-रू. प्रतिमाह पेंशन	2,48,381/-रू.	34,57,388/- रू. + प्रतिमाह 20,700/ रू. पेंशन	मेडिकल आधार पर अमान्यकरण आउट
3.	मेजर ए के सिंह, एससी	शून्य	4,78,381/-रू.	4,78,381/- रू.	चूंकि ये अभी सेवा में हैं, इसलिए भुगतान किए गए वित्तीय लाभ और सेना द्वारा दिया गया मुआवजा/पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।
4.	हवलदार राजबीर	शून्य	2,28,381/- रू.	2,28,381/- रू.	
5.	हवलदार राजेन्द्र कोरे	शून्य	2,28,381/- रू.	2,28,381/- रू.	
6.	हवलदार एंथोनी सामी	शून्य	2,28,381/- रू.	2,28,381/- रू.	
7.	सिपाही दिनेश साहु	शून्य	2,28,381/- रू.	2,28,381/- रू.	
8.	नायक पीवी मनीष	शून्य	5,18,381/- रू.	5,18,381/- रू.	
9.	सिपाही सुनील कुमार, एसएम	शून्य	4,98,381/- रू.	4,98,381/- रू.	
10.	सिपाही सुनील कुमार यादव	शून्य	Rs. 3,78,381/-	Rs. 3,78,381/-	
11.	सिपाही राजेश कुमार	शून्य	Rs. 2,28,381/-	Rs. 2,28,381/-	

ग. निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्हें मुम्बई हमले के दौरान मामूली चोटें आई, को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया गया है बल्कि मेडिकल अधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार सेवा में रखा गया और इन्हें मुआवजा/पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है:

1. मेजर बी. भारत
2. मेजर सौरभ साह
3. कैप्टन मोहित ढींगरा

****